फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हिरालाल | विपक्षी : राजस्थान राज्य

किस्म मुकदमा – 131 भू.राजस्व अधिनियम | पत्रावली संख्या : 48/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.11.2021	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प भानसोल में पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार तरमीम किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 2554/53 में से नया नम्बर 2757/2627 बना जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं परन्तु राजस्व नक्शें में तरमीम की हुई नहीं है जिसे राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 2757/2627 रकबा 5 बीघा भूमि में खातेदारों का कब्जा एक जगह पर नहीं होकर 2 भागों में विभक्त होने से डी.आई.एल.आर.एम.पी. तरमीम मौका निरीक्षण एवं वन टू वन मेपिंग में रकबा 2.05 बीघा एवं 2.15 बीघा दो स्थानों पर कब्जा काश्त होने से जरिये शुद्धि आराजी नम्बर 2757/2627 रकबा 5 बीघा के बजाय आराजी नम्बर 2757/2554 रकबा 2.05 बीघा एवं आराजी नम्बर 2979/2554 रकबा 2.15 बीघा दर्ज करने की स्वीकृति होने से राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट के साथ तरमीम हेतु प्रस्तावित नक्शा भी पेश किया हैं। चूंकि राजस्व नंक्शे में तरमीम नहीं होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार कब्जे के आधार पर नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया [illegible] जाता है कि मौजा गढवाडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 2757/2554 रकबा 2.05 बीघा एवं आराजी नम्बर 2979/2554 रकबा 2.15 बीघा भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:54:17 IST
Reason: Self Attested